(92)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं. /2018 पुनरीक्षण

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/1628

श्रीमती प्रभादेवी पत्नी स्व. रामबाबू तिवारी
निवासी वार्ड नं. 25 महाराजा कॉलेज के
सामने, छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदिका

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर छतरपुर

...... अनावेदक

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
पृष्ठ क्र.
दिनांक 08/3/18
हस्ताक्षर व नाम श्री मुकेश भार्गव, अधि
प्रस्तुत, प्रारंभिक तर्क हेतु 8/3/18 को
दिनांक 22/3/18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
8-3-18 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा प्र.क्रं. 386/अ–68 वर्ष 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, नजूल एन.एम.एस. द्वारा एक प्रतिवदन तहसीलदार नजूल छतरपुर के न्यायालय में पेश किया था जिस पर तहसीलदार ने प्र.क्रं. 42/अ–68 वर्ष 2011–12 दर्ज कर प्रकरण में आवेदिका को कारण बताओ नोटिस दिनांक 23.4.2012 को जारी किया था जिसका जबाव आवेदिका द्वारा प्रस्तुत किया जिसमें लगाये गये आरोपों को इंकार किया तथा बताया गया कि उक्त भूमि पर पूर्व से करीब 50–60 वर्षो से दुर्गा जी एवं शंकर जी के छोटे छोटे मंदिर

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/1628

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि नजूल सर्वेयर ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि आवेदिका द्वारा ईंट सीमेंट की जुड़ाई कर 3-4 फीट बाउन्ड्रीवाल बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर तहसीलदार नजूल द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए एनएमएस रिपोर्ट, पंचनामा, आदि के आधार पर दिनांक 21.08.2012 द्वारा आवेदक को बेदखल किए जाने के आदेश दिए। जिसकी पुष्टि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने की है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती होकर स्थिर रखे जाने योग्य हैं। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	